

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग-6

पं.क्र:- 6/57/राज-6/1/53

जयपुर, दिनांक:-27.12.2004

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के 1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15 की धारा 260 की उपधारा 1 के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक पं. 6/11/राज-4/90/2, दिनांक 13.1.92 में निम्न संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रमांक 2 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
" 2. जिला आक़ारी अधिकारी दौसा-राजस्व जिला दौसा "
2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रमांक 21 के पश्चात नया क्रमांक संख्या 22 निम्न प्रकार जोड़ा जायेगा:-
" 22. जिला आक़ारी अधिकारी, टोंक-राजस्व जिला टोंक "।

राज्यपाल के आदेश से

॥ बन्धु सिंह मीणा ॥

शासन उप सचिव

प्रतिनिधि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री असेस/राजस्व क्ली महीदय
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महीदय
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्व
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर
6. सहायक प्रभागीय अधिकारी, राज०।
7. सहायक जिला कलेक्टर, राज०।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मण्डल, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक में प्रकाशनार्थ।
9. उप शासन सचिव, वित्त आक़ारी विभाग
10. सचिव, राजस्व मण्डल, अजमेर
11. सहायक उप शासन सचिव, राजस्व/उपनिवेशन
12. अतिरिक्त निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर चित्त एवं लेखा
13. सहायक पत्राचारि

उप शासन सचिव